



70

## माननीय राजस्व मण्डल महोदय, ग्वालियर, केम्प-उज्ज्वन (म.प्र.)

P 1266 PB/17 प्रकं.- ..... / 17 निगरानी

विश्वजीतसिंह पिता महेन्द्रसिंह राठौर  
उम्र-35 वर्ष, निवासी—ग्राम बाजखेड़ी, तहसील—सीतामऊ  
जिला—मंदसौर (म.प्र.)

— निगरानीकर्ता

### बनाम

1— प्रवीण कुंवर बेवा शैलेन्द्रसिंह राजपुत

2— महेन्द्रसिंह पिता देवीसिंह राजपुत

3— राजेन्द्रसिंह पिता देवीसिंह राजपुत

सभी निवासी—ग्राम बाजखेड़ी, तहसील—सीतामऊ

जिला—मंदसौर (म.प्र.)

4— उमा कुंवर पिता देवीसिंह, पति नरेन्द्रसिंह राणावत

निवासी—ग्राम रावदिया कला, तहसील—बडनगर

जिला—उज्जैन (म.प्र.)

5— रमा कुमारी पिता देवीसिंह, पति लोकेन्द्रसिंह सिसौदिया

निवासी—आवास नगर, नोट प्रेस के सामने, देवास

जिला—देवास (म.प्र.)

— विपक्षीगण

### निगरानी तहत धारा—50 म.प्र. भू.रा.सं.

निगरानी खिलाफ आदेश न्यायालय नायब तहसीलदार

टप्पा कयामपुर तहसील सीतामऊ द्वारा प्रकरण

क्रमांक—33 / अ६—२०१५—१६ (प्रवीण कुंवर बनाम

महेन्द्रसिंह वगैराह) में पारित आदेश दिनांक—३०.

०३.१६ से व्यतिथ होकर सदर निगरानी प्रस्तुत है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी/266 -पीबीआर/17

जिला मंदसौर

स्वतन्त्र दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1-5-2017 <i>MG</i>	<p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। अतिरिक्त तहसीलदार तहसील सीतामऊ जिला मंदसौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-3-2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र इस निष्कर्ष के साथ निरस्त किया गया है कि उसे वसीयत प्रस्तुत करने के अनके अवसर दिये जा चुके हैं इसके बावजूद भी उसके द्वारा वसीयत प्रस्तुत नहीं की गई है जिसमें प्रथमदृष्ट्या किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं परिलक्षित नहीं होती है। फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है।</p> <p style="text-align: right;"><i>(मनाज गोयल)</i> अध्यक्ष</p>	